Rajasthan State Mines & Minerals Limited
(A Government of Rajasthan Enterprise)
Corporate Office : 4, Meera Marg, Udaipur - 313 001
Registered Office : C-89-90, Lal Kothi Scheme, Jaipur, CIN-U14109RJ1949SGC000505
Phone : 0294-2428763/64/65/66/67, Fax : 0294-2428770/2428739
e-mail : info.rsmml@rajasthan.gov.in, Website: www.rsmm.com

क्रमांकः– आरएसएमएमएल/सीओ/पर्स/19(38)/2023/192 दिनांकः–17.07.2023

कार्यालय आदेश

माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 की बजट घोषणा के बिन्दु संख्या 151 पर कार्मिक कल्याण के तहत पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए की गई बजट घोषणा के क्रियान्वयन के क्रम में वित्त विभाग (नियम अनुभाग) द्वारा समस्त राजकीय उपक्रमों/स्वायत्तशासी निकाय/बोर्ड/विश्वविद्यालय आदि में पुरानी पेंशन योजना लागू करने हेतु दिशा–निर्देश आदेश संख्या प. 13(12)वित्त नियम/2021 दिनांक 20.04.2023 के द्वारा जारी किये गये है। राजकीय उपक्रम विभाग द्वारा आदेश संख्या एफ.2(4)बीपीई/89/पार्ट–2/616 दिनांक 24.04.2023 के द्वारा आदेश दिनांक 20.04.2023 की पालना करने के निर्देश प्रदान किये गये है।

उपरोक्त आदेश दिनांक 20.04.2023 की पालनार्थ एवं वित्त विभाग (नियम अनुभाग) के आदेश क्रमांक प.13(12) वित्त नियम/2021 दिनांक 17.06.2023 के क्रम में निदेशक मण्डल की बैठक दिनांक 10.07.2023 में लिये गये निर्णय अनुसार आरएसएमएमएल के सेवारत एवं सेवानिवृत कार्मिकों से यह अपेक्षित है कि वे दिनांक 25.07.2023 तक पुरानी पेंशन योजना हेतु विकल्प पत्र प्रस्तुत करें, तथा साथ ही दिनांक 31.07.2023 तक आदेश दिनांक 20.04.2023 एवं 06.07.2023 के प्रावधानानुसार नियोक्ता अंशदान की राशि मय ब्याज एक मुश्त जमा करवाये। इसके अभाव में यह माना जायेगा कि कार्मिक भविष्य निधि संगठन का सदस्य ही बने रहना चाहता है।

पुरानी पेंशन योजना के संबंध में अन्य दिशा–निर्देश वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश संख्या प.13(12) वित्त (नियम)/2021 जयपुर दिनांक 20.04.2023, आदेश क्रमांक प.13(12) वित्त (नियम)/2021 दिनांक 17.06.2023 एवं आदेश कमांक प.13(12)/वित्त(नियम)/2021 जयपुर दिनांक 06.07.2023 के अनुसार रहेगें।

संलग्नः– वित्त द्वारा जारी आदेश संख्या प.13(12) वित्त (नियम)/2021 जयपुर दिनांक 20.04.2023, आदेश क्रमांक प.13(12) वित्त (नियम)/2021 जयपुर दिनांक 17.06.2023, आदेश कमांक प.13(12)/वित्त(नियम)/2021 जयपुर दिनांक 06.07.2023 एवं विकल्प पत्र।

(संदेश नायक)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजि सचिव, अध्यक्ष महोदया, आरएसएमएमएल, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, कॉर्पोरेट कार्यालय, उदयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, कॉर्पोरेट कार्यालय, उदयपुर।
4. कार्यकारी निदेशक (प्रशा.), कॉर्पोरेट कार्यालय, उदयपुर।
5. समूह महाप्रबन्धक–लाईमस्टोन/प्रमुख एवं प्रभारी–रॉक फॉस्फेट/जिप्सम/लिग्नाईट।
6. समस्त विभागाध्यक्ष–कॉर्पोरेट कार्यालय, उदयपुर।
7. उप महाप्रबन्धक (आईटी), कॉर्पोरेट कार्यालय, उदयपुर, वेबसाईट पर अपलोड़ करने हेतू।
8. पुरानी पेंशन योजना का विकल्प देने के इच्छुक समस्त सेवानिवृत एवं सेवारत आरएसमएमएल कार्मिकों से अनुरोध है कि अपना विकल्प पत्र दिनांक 25.07.2023 तक एवं नियोक्ता अंशदान की राशि मय ब्याज एक मुश्त दिनांक 31.07.2023 तक मुख्यालय के पेंशन प्रकोष्ठ में जमा करना सुनिश्चित करें। इसके अभाव में यह माना जावेगा कि आप पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित नहीं होना चाहते है, एवं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का सदस्य ही बने रहना चाहते है।
9. पंजीकृत कार्यालय, जयपुर।
10. दिल्ली/कोलकत्ता कार्यालय।
11. समस्त सूचना पट्ट।

Signature valid
Digitally signed by Sandesh Nayak
Designation: Managing Director
Date: 2023.07.17 17:39:25 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4300028

(Dr. Tary Surana)
ED (Admn)

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(नियम अनुभाग)

क्रमांक : प.13(12)वित्त(नियम)/2021 जयपुर, दिनांक : 20 APR 202

आदेश

विषयः राजकीय उपक्रमों / स्वायत्तशासी निकायों / विश्वविद्यालय आदि संस्थाओं में, जहां CPF/ EPF लागू है, के संबंध में पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने बाबत।

राज्य सरकार द्वारा समस्त राजकीय उपक्रमों/स्वायत्तशासी निकाय/बोर्ड/ विश्वविद्यालय आदि में पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने के निर्णय की पालना के संबंध में जिन संस्थाओं में पूर्व में विकल्प के आधार पर पेंशन योजना एवं CPF योजना लागू थी, उन संस्थाओं के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सीपीएफ के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना का पुनर्विकल्प देने हेतु अशा.टीप क्रमांक प.13(12)वित्त/नियम/2021 दिनांक 21–2–2023 जारी की जा चुकी है। इस अशा.टीप में उल्लेखित **Contributory Pension Fund** को **Contributory Provident Fund** पढ़ा जाये।

उक्त अशा.टीप की निरन्तरता में राजकीय उपक्रमों/स्वायत्तशासी निकायों/ विश्वविद्यालय आदि संस्थाओं के सेवानिवृत तथा सेवारत कार्मिकों पर जहां सी.पी.एफ/ई.पी.एफ. लागू हैं, वहां पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने के संबंध में निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैः–

1. प्रशासनिक स्वीकृतियाँ एवं अनुमोदन –

1.1 राजकीय उपक्रम ब्यूरो के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले उपक्रमों आदि के संबंध में दिशा–निर्देश राजकीय उपक्रम विभाग द्वारा जारी किये जायेंगे।

1.2 राजकीय उपक्रमों के क्षेत्राधिकार में नहीं आने वाले संस्थाओं के लिये दिशा–निर्देश संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा जारी किये जायेंगे।

1.3 राजकीय उपक्रम विभाग/प्रशासनिक विभाग द्वारा दिशा–निर्देश जारी होने के उपरान्त संबंधित संस्था सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर इसे अंगीकृत करने की कार्यवाही करेगी।

1.4 यदि संस्था को संबंधित प्रशासनिक विभाग के अतिरिक्त अन्य किसी स्तर से अनुमोदन की आवश्यकता हो तो, अनुमोदन प्राप्त कर तत्पश्चात् संस्था इसे अंगीकार करने की कार्यवाही करेगी।

1.5 संबंधित संस्था राज्य सरकार के पुरानी पेंशन योजना लागू करने के आदेश तथा इसे संबंधित संस्था में अंगीकार करने के निर्णय से EPF के सक्षम स्तर को अनुमोदन हेतु भिजवाया जायेगा। जिन कार्मिकों द्वारा CPF/EPF के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना का विकल्प दे दिया है तथा स्वीकार कर लिया जाता है तो उनकी नियोक्ता अंशदान के रूप में कोई भी कटौती CPF/EPF योजना के अन्तर्गत नहीं की जायेगी।

2. GPF linked Pension Scheme तथा उसके अन्तर्गत पेंशन निधि –

2.1 सभी संस्थाओं में GPF linked Pension Scheme लागू की जायेगी।

2.2 जिन संस्थाओं में पूर्व से ही GPF linked Pension Scheme लागू है तथा पेंशन निधि गठित है, उन्हें नवीन पेंशन निधि गठित करने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु यह सुनिश्चित करना होगा कि पेंशन निधि राज्य सरकार के पी.डी. खाते में ही संधारित की जाये। यदि पेंशन निधि राज्य सरकार के पी.डी. खाते के अलावा अन्यत्र संधारित है, तो उसे राज्य सरकार के पी.डी. खाते में संधारित किया जायेगा।

2.3 जिन संस्थाओं में GPF linked Pension Scheme लागू नहीं है, उनके द्वारा पुरानी पेंशन योजना हेतु GPF linked Pension Scheme लागू करने हेतु विनियम बनाये जा कर पेंशन निधि का गठन किया जायेगा तथा इन संस्थाओं के स्तर से भी पेंशन निधि राज्य सरकार के पी.डी. खाते में ही संधारित की जायेगी।

2.4 जिन संस्थाओं में कार्मिकों की संख्या बहुत कम है जिसके कारण अलग से पेंशन निधि का गठन एवं संचालन करना व्यवहारिक न हो, उन संस्थाओं के संबंध में संबंधित प्रशासनिक विभाग अपने स्तर से किसी एक संस्था (राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की भांति) को सभी संस्थाओं हेतु GPF linked Pension Scheme लागू करने तथा तदानुसार अधिकृत संस्था के स्तर पर पेंशन निधि के गठन एवं संचालन हेतु अधिकृत कर सकते हैं।

3. <u>GPF linked Pension Scheme के अन्तर्गत कार्मिकों के जी.पी.एफ. खाते</u> –

3.1 राज्य सरकार द्वारा बोर्ड/निगम आदि को मंहगाई भत्ता एवं तदर्थ बोनस/एक्स–ग्रेसिया की राशि के आदेशों में यह शर्त उल्लेखित थी कि नकद भुगतान के अतिरिक्त एरियर राशि में "सामान्य प्रावधायी निधि सैब (GPF-SAB)" में हस्तान्तरित की जायेगी। "सामान्य प्रावधायी निधि सैब (GPF-SAB)" की कटौती का प्रावधान **"राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम–2021"** के अन्तर्गत उल्लेखित है। ऐसी स्थिति में सभी संस्थाओं के कार्मिकों के "सामान्य प्रावधायी निधि सैब (GPF-SAB)" के खाते राज्य बीमा एवं सामान्य प्रावधायी निधि विभाग में पूर्व से ही संधारित किये जा रहे है।

3.2 भविष्य में GPF linked Pension Scheme के अन्तर्गत कार्मिकों के जी.पी.एफ. खाते **"राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम–2021"** के अन्तर्गत शासित होगे तथा इस हेतु जिन संस्थाओं में GPF linked Pension Scheme लागू है, उन संस्थाओं में जी.पी.एफ से सम्बन्धित विनियमों में आवश्यक संशोधन किया जाकर कार्मिक अंशदान की राशि "सामान्य प्रावधायी निधि सैब (GPF-SAB)" में जमा कराने का प्रावधान किया जायेगा।

3.3 जिन संस्थाओं में GPF linked Pension Scheme लागू नहीं है, उनके द्वारा GPF linked Pension Scheme लागू करने तथा "सामान्य प्रावधायी निधि सैब (GPF-SAB)" में राशि जमा कराने हेतु विनियम बनाये जा कर इस हेतु प्रावधान किया जायेगा।

3.4 सामान्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा "सामान्य प्रावधायी निधि सैब (GPF-SAB)" में कार्मिकों की राशि जमा करने हेतु समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं और प्रकियाएं निर्धारित की जायेगी।

4. <u>पुरानी पेंशन योजना हेतु विकल्प</u> –

4.1 संस्था के स्तर पर आवश्यक स्वीकृतियाँ तथा GPF linked Pension Scheme संशोधनों सहित लागू होने पर सेवानिवृत कार्मिकों एवं सेवारत कार्मिकों से पुरानी पेंशन योजना हेतु निर्धारित प्रपत्र में संबंधित संस्था के प्राधिकृत अधिकारी को दिनांक 30–6–2023 तक पुरानी पेंशन योजना के पुनर्विकल्प/विकल्प हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जा सकेंगे।

4.2. सेवानिवृत्त कार्मिक द्वारा एक बार दिया गया पुनर्विकल्प/विकल्प आवेदन अंतिम होगा तथा निर्धारित तिथि तक विकल्प प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो, यह माना जायेगा कि वह CPF/EPF का ही सदस्य बना रहना चाहते हैं।

4.3 सेवा से निष्कासित, सेवा से हटाये गये, सेवा से त्यागपत्र देने वाले कार्मिकों को पुरानी पेंशन योजना के विकल्प की सुविधा नहीं होगी।

5. <u>सेवानिवृत कार्मिक द्वारा पेंशन विकल्प प्रस्तुत करने के साथ जमा कराये जाने वाली राशि</u>–

5.1 सेवानिवृत्त कार्मिक को CPF/EPF के नियोक्ता अंशदान की समस्त राशि संबंधित संस्था की पेंशन निधि में उसकी प्राप्ति की तिथि से पेंशन निधि में जमा कराने की तिथि तक

देय 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित दिनांक 30–6–2023 तक एक मुश्त जमा करानी होगी।

5.2 यदि CPF/EPF कटौती में से नियोक्ता अंशदान की कोई भी राशि किसी अन्य फण्ड/स्कीम यथा Employee Contributory Fund या Employee Pension Scheme में जमा थी और उसका भुगतान सेवानिवृत्त कार्मिक ने प्राप्त किया है तो, ऐसी राशि को सेवानिवृत्त कार्मिक द्वारा उसकी प्राप्ति की तिथि से संबंधित संस्था की पेंशन निधि में 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित एक मुश्त जमा करानी होगी।

5.3 यदि CPF/EPF कटौती में से नियोक्ता अंशदान की कोई भी राशि से EPF के अन्तर्गत पेंशन का भुगतान हो रहा है तो ऐसी राशि को भी सेवानिवृत कार्मिक द्वारा संबंधित संस्था की पेंशन निधि में 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित एक मुश्त जमा करानी होगी।

5.4 यदि सेवानिवृत कार्मिक द्वारा कार्यरत अवधि के दौरान सी.पी.एफ./ई.पी.एफ से नियोक्ता अंशदान की राशि का अन्तिम प्रत्याहरण किया है तो, प्रत्याहरण की तिथि से पेंशन निधि में राशि जमा कराने की तिथि तक आहरित की गई समस्त राशि 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित एक मुश्त जमा करानी होगी।

5.5 सेवानिवृत्त कार्मिक को नियोक्ता अंशदान की भुगतान की गई राशि की वास्तविक तिथि से ब्याज की गणना की जायेगी। यदि नियोक्ता अंशदान की कुछ राशि EPF के अन्तर्गत जमा कराई गई है तो उस राशि पर ब्याज की गणना सेवानिवृत्ति तिथि से की जायेगी। ब्याज की गणना पेंशन निधि में वास्तविक रूप से राशि जमा कराने की तिथि तक की अवधि के लिये की जायेगी। यदि सेवानिवृत कार्मिक द्वारा CPF/EPF के अन्तर्गत पेंशन विनियम में निर्धारित परिलाभ से अधिक परिलाभ प्राप्त किया हो तो उस अन्तर राशि को भी 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से सेवानिवृत कार्मिक को पेंशन निधि में जमा कराना होगा।

5.6 यदि वेतन में संशोधन के कारण प्राप्त की गई राशि में संशोधन होता है तो तदानुसार नियोक्ता अंशदान की कटौती की अन्तर राशि मय 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के पेंशन निधि में जमा करानी होगी।

5.7 सेवानिवृत्त कार्मिक द्वारा विकल्प प्रस्तुत करने के उपरान्त तथा नियोक्ता अंशदान की समस्त राशि मय 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के जमा कराने पर ही पुनर्विकल्प/विकल्प स्वीकार किया जायेगा।

5.8 जिन संस्थाओं में कार्मिकों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प दिया गया था और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के विकल्प को स्वीकार करने की स्थिति में ex-gratia या अन्य रूप में अतिरिक्त राशि दी गई थी, उन कार्मिकों द्वारा पुरानी पेंशन योजना का विकल्प दिये जाने की स्थिति में प्राप्त की गई ऐसी समस्त अतिरिक्त राशि में से आयकर की भुगतान की गई राशि को घटाकर शेष राशि की 50 प्रतिशत राशि को भी उस राशि को प्राप्त करने की तिथि से जमा कराने की तिथि तक 12 प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से पेंशन निधि में एकमुश्त जमा करानी होगी।

5.9 जिन संस्थाओं में कार्मिकों द्वारा सेवानिवृति के उपरान्त भी CPF/EPF की राशि संस्था से प्राप्त नहीं की, ऐसी समस्त राशि मय अर्जित ब्याज के पेंशन निधि में संस्था द्वारा उन कार्मिकों द्वारा पेंशन हेतु विकल्प प्रस्तुत करने पर सीधे ही हस्तान्तरित की जायेंगी।

5.10 जिन संस्थाओं में पुरानी पेंशन योजना तथा सी.पी.एफ. दोनों लागू थे, परन्तु CPF का विकल्प देने पर 2 वर्ष की अतिरिक्त सेवा का प्रावधान था, ऐसे मामलों में सी.पी.एफ के अन्तर्गत प्राप्त की गई 2 वर्ष की सेवा के वेतन भत्तों की राशि एक्स–ग्रेसिया के रूप में मानी जाकर बिन्दु संख्या 5.8 के अनुसार जमा की जायेंगी।

5.11 पारिवारिक पेंशन हेतु GPF linked Pension Scheme के अन्तर्गत पेंशन विनियमों में मृतक कार्मिक के पात्र आश्रित भी विकल्प परिवर्तन हेतु आवेदन कर सकेंगे।

6. सेवानिवृत कार्मिक की जी.पी.एफ कटौती के सम्बन्ध में निर्देश –

6.1 सेवानिवृत कार्मिकों से कार्मिक के अंशदान की कोई राशि "सामान्य प्रावधायी निधि सैब (GPF-SAB)" में हस्तान्तरित नहीं की जायेगी। उसका निस्तारण संस्था सम्बन्धित सी.पी. एफ./ई.पी.एफ. के प्रावधानों के अन्तर्गत करेगी।

6.2 जो कार्मिक दिनांक 30.06.2023 तक सेवानिवृत होने वाले है, उनके मामलों में कार्मिक के अंशदान की राशि "सामान्य प्रावधायी निधि सैब (GPF-SAB)" में हस्तान्तरित नहीं की जायेगी, उसका भी निस्तारण संस्था सम्बन्धित सी.पी.एफ./ई.पी.एफ के प्रावधानों के अन्तर्गत करेगी।

7. सेवानिवृत कार्मिकों के पेंशन निर्धारण सम्बन्धी निर्देश –

7.1 सेवानिवृत्त कार्मिक द्वारा CPF/EPF के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना हेतु प्रस्तुत विकल्प के सम्बन्ध में राशि जमा होने तथा विकल्प स्वीकार होने के उपरान्त सेवानिवृत्ति की तिथि से दिनांक 31–3–2023 तक संबंधित संस्थाओं में लागू पेंशन प्रावधानों के अन्तर्गत notional fixation किया जा कर तदनुसार पेंशन दिनांक 1–4–2023 से निर्धारित की जायेगी।

7.2 पेंशन का निर्धारण सेवानिवृत कार्मिक के सेवानिवृति के समय प्रचलित प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।

8. सेवारत कार्मिक द्वारा पेंशन विकल्प प्रस्तुत करने तथा पेंशन निधि में राशि जमा कराने के सम्बन्ध में निर्देश –

8.1 सेवारत कार्मिक जिनकी संस्थाओं में पूर्व में विकल्प के आधार पर पेंशन योजना एवं CPF योजना लागू थी अथवा सिर्फ CPF लागू है या सिर्फ EPF लागू है, उन संस्थाओं के सेवारत कार्मिकों द्वारा CPF/EPF के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना का पुनर्विकल्प/विकल्प दिया जा सकेगा।

8.2 सेवारत कार्मिक द्वारा एक बार दिया गया पुनर्विकल्प/विकल्प आवेदन अंतिम होगा तथा निर्धारित तिथि तक विकल्प प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो, यह माना जायेगा कि वह CPF / EPF का ही सदस्य बना रहना चाहते हैं।

8.3 सेवारत कार्मिकों की CPF की जो राशि मय ब्याज के संस्था में या संस्था द्वारा खोले गये पी.डी. खाते या बैंक खाते में जमा है, वह समस्त नियोक्ता अंशदान राशि उस पर अर्जित ब्याज सहित पेंशन निधि के पी.डी. खाते में हस्तांतरित की जायेगी।

8.4 CPF की कटौती में से जो राशि EPF की पेंशन निधि के अतिरिक्त अन्य योजना में जमा कराई गई है अर्थात जो संस्था स्तर पर जमा नहीं होकर अन्यत्र जमा है, ऐसी समस्त राशि मय अर्जित ब्याज के सेवारत कार्मिक द्वारा स्वयं के स्तर से संबंधित संस्था की नव गठित पेंशन निधि में एक मुश्त जमा कराई जायेगी।

8.5 सेवारत कार्मिकों की यदि CPF/EPF कटौती में से नियोक्ता अंशदान की कोई भी राशि किसी अन्य फण्ड/स्कीम यथा Employee Contributory Fund में जमा थी और वह पेंशन निधि में हस्तांतरित नहीं हो सकती हो तो ऐसी समस्त राशि सेवारत कार्मिक को स्वयं मय अर्जित ब्याज सहित एक मुश्त जमा करानी होगी।

8.6 जिन संस्थाओं को EPF से छूट प्राप्त है तथा अपने स्तर पर ट्रस्ट गठित किये हुए हैं और नियोक्ता अंशदान की राशि संस्था के पास है तो ऐसी समस्त राशि सक्षम अनुमोदन से संबंधित संस्था द्वारा पेंशन निधि में उस पर अर्जित ब्याज सहित एक मुश्त जमा करानी होगी।

8.7 यह स्पष्ट किया जाता है कि जिन संस्थाओं के कार्यरत कार्मिकों की नियोक्ता अंशदान की राशि EPF के अन्तर्गत जमा है तथा दिनांक 30–6–2023 तक प्राप्त नहीं होती है तो

ऐसी समस्त नियोक्ता अंशदान की राशि मय अर्जित ब्याज के कार्मिक को स्वयं पेंशन निधि में जमा करानी होगी। उक्त जमा राशि को कार्मिक भविष्य में संबंधित योजना के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार स्वयं प्राप्त कर सकेंगे।

8.8 सेवारत कार्मिक की जो राशि ई.पी.एफ. की पेंशन निधि हेतु जमा की गई है, वह समस्त राशि उसके जमा होने की तिथि के आधार पर कार्मिक को स्वयं 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से जमा करानी होगी।

8.9 GPF linked Pension Scheme के अनुसार सेवारत कार्मिकों हेतु नियोक्ता अंशदान की राशि कार्मिक के मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते की 12 प्रतिशत की दर से पेंशन निधि में जमा की जायेगी। जिन संस्थाओं में पूर्व में यह दर कम थी वह सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त इस दर को 12 प्रतिशत कर सकेंगे।

8.10 सेवारत कार्मिक जो राज्य सरकार या किसी अन्य संस्था में विपरीत प्रतिनियुक्ति/पदस्थापित है, तो उन्हें भी अपने पैतृक संस्था को ही विकल्प हेतु आवेदन करना होगा तथा इन निर्देशों के अनुसार ही कार्यवाही करनी होगी।

8.11 सेवारत कार्मिक की जो सेवा पेंशन योग्य है किन्तु किसी अवधि का वेतन किसी भी कारण से नहीं मिला हो तो ऐसे मामले में इस अवधि से पूर्व के वेतन के आधार पर देय कटौती कार्मिक को स्वयं मय 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित पेंशन निधि में जमा करानी होगी। यदि भविष्य में इस अवधि का निर्णय हो जाता है तो कार्मिक अपनी संस्था से इस राशि को नियमानुसार प्राप्त कर सकेगा।

9. <u>सेवारत कार्मिक की जी.पी.एफ कटौती के सम्बन्ध में निर्देश</u> –

9.1 राज्य सरकार द्वारा बोर्ड/निगम आदि को मंहगाई भत्ता एवं तदर्थ बोनस/एक्स–ग्रेसिया की राशि के आदेशों में यह शर्त उल्लेखित थी कि नकद भुगतान के अतिरिक्त एरियर राशि में "सामान्य प्रावधायी निधि सैब (GPF-SAB)" में हस्तान्तरित की जायेगी। "सामान्य प्रावधायी निधि सैब (GPF-SAB)" की कटौती का प्रावधान **"राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम–2021"** के अन्तर्गत उल्लेखित है। अतः भविष्य में सेवारत कार्मिक इन्हीं नियमों के अन्तर्गत शासित होंगे।

9.2 जिन संस्थाओं में GPF linked Pension Scheme लागू है, उन संस्थाओं के सेवारत कार्मिकों की राशि जो विकल्प देने की तारीख को अंशदायी प्रावधायी निधि में कार्मिक के खाते में जमा है, उस राशि को मय ब्याज के "सामान्य प्रावधायी निधि सैब (GPF-SAB)" में हस्तान्तरित किया जायेगा।

9.3 जिन संस्थाओं में GPF linked Pension Scheme लागू नहीं है, उन संस्थाओं के सेवारत कार्मिकों की GPF linked Pension Scheme के विनियम लागू होने के उपरान्त जो राशि विकल्प देने की तारीख को अंशदायी प्रावधायी निधि में कार्मिक के खाते में जमा होगी, उसे मय ब्याज के "सामान्य प्रावधायी निधि सैब (GPF-SAB)" में हस्तान्तरित किया जायेगा।

9.4 सभी संस्थाओं के कार्मिकों के "सामान्य प्रावधायी निधि सैब (GPF-SAB)" के खाते राज्य बीमा एवं सामान्य प्रावधायी निधि विभाग में पूर्व से ही संधारित किये जा रहे है। इन्हीं खातों में दिनांक 01.04.2023 से GPF linked Pension Scheme के अन्तर्गत जी.पी.एफ. विनियम में निर्धारित कटौती जो नियोक्ता अंशदान के बराबर है, को भी "सामान्य प्रावधायी निधि सैब (GPF-SAB)" में जमा किया जायेगा।

9.5 GPF linked Pension Scheme के अनुसार सेवारत कार्मिकों हेतु कार्मिक की अंशदान राशि कार्मिक के मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते की 12 प्रतिशत की दर से "सामान्य प्रावधायी निधि सैब (GPF-SAB)" में प्रतिमाह जमा होगी।

10. पेंशन भुगतान –

10.1 सेवानिवृत्त कार्मिक द्वारा CPF/EPF के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना का विकल्प स्वीकार करने तथा सम्पूर्ण राशि मय ब्याज के जमा होने की पुष्टि के उपरान्त सेवानिवृत्ति की तिथि से दिनांक 31–3–2023 तक संबंधित संस्थाओं में लागू पेंशन प्रावधानों के अन्तर्गत notional fixation किया जा कर तदनुसार पेंशन दिनांक 1–4–2023 से निर्धारित की जायेगी। जो कार्मिक दिनांक 01.04.2023 के उपरान्त सेवानिवृत होंगे, उनकी पेंशन उनकी सेवानिवृति के उपरान्त नियमानुसार देय होगी।

10.2 पेंशन निधि के प्रारम्भिक गठन हेतु संस्था स्तर से राशि पेंशन निधि में सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त एकमुश्त जमा की जा सकेगी।

10.3 पेंशन निधि के गठन उपरान्त प्राप्त राशि तथा तदुपरान्त नियोक्ता अंशदान एवं ब्याज आदि से जमा होने वाली राशि से ही पेंशन परिलाभों का भुगतान किया जायेगा। पेंशन परिलाभों के भुगतान में राज्य सरकार का कोई दायित्व नहीं होगा।

10.4 राज्य सरकार द्वारा पूर्णतया अनुदानित संस्थाओं के अतिरिक्त अन्य सभी संस्थाओं द्वारा स्वयं के स्त्रोतों से पेंशन निधि में राशि की व्यवस्था की जायेगी। ऐसी संस्थाएं राज्य सरकार से पेंशन परिलाभों के भुगतान हेतु कोई मांग नहीं करेंगी।

11. अन्य निर्देश –

11.1 पुनर्विकल्प/विकल्प प्रस्तुत करने वाले सेवानिवृत्त कार्मिक नियोक्ता अंशदान की राशि एवं उस पर उपरोक्तानुसार देय ब्याज की गणना एवं उसकी शुद्धता का समस्त दायित्व संबंधित संस्था सहित प्रशासनिक विभाग का भी होगा।

11.2 सेवानिवृत्त कार्मिक का CPF/EPF के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना का विकल्प स्वीकार होने पर तथा राशि जमा होने के उपरान्त सेवानिवृत्ति की तिथि से दिनांक 31–3–2023 तक संबंधित संस्थाओं में लागू पेंशन प्रावधानों के अन्तर्गत notional fixation किया जा कर तदनुसार पेंशन दिनांक 1–4–2023 से निर्धारित की जायेगी।

11.3 यदि किसी संस्था द्वारा नियोक्ता अंशदान के रूप में देय EPF की कटौती राशि समय पर EPF में जमा नहीं कराई गई है तो संस्था विकल्प प्रस्तुत करने वाले तथा तदनुसार राशि मय ब्याज के जमा कराने वाले कार्मिकों के संबंध में पुरानी पेंशन योजना के संदर्भ से राज्य सरकार एवं संस्था के निर्णय से अवगत कराते हुए EFPO को सूचित करेगी तथा तदुपरान्त इस देय राशि को भी पेंशन निधि में हस्तांतरित करेगी।

11.4 यदि संस्था द्वारा CPF की राशि के नियोक्ता अंशदान की राशि संबंधित खाते में जमा नहीं कराई है तो वह अब उक्त राशि को पेंशन निधि में जमा करायेगी।

11.5 पुरानी पेंशन योजना के संबंध में पेंशनरों/कार्मिकों द्वारा माननीय न्यायालयों में जो वाद दायर किये हुए हैं, उन न्यायिक वादों में उपरोक्त निर्देशों के क्रम में सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त तथा संस्था में इसे अंगीकार करने के उपरान्त सिर्फ पुरानी पेंशन योजना की प्रार्थना से संबंधित बिन्दु पर संस्था द्वारा राज्य सरकार की उपरोक्तानुसार सहमति के आधार पर राजकीय पक्ष रखा जाना सुनिश्चित किया जाये। जो प्रकरण माननीय न्यायालयों से निर्णित / निस्तारित हो चुके हैं, उनमें भी इन आदेशों में निर्धारित दिशा–निर्देशों की सीमा तथा शर्तों पर और उसे सक्षम स्तर से एवं संबंधित कार्मिक / सेवानिवृत्त कार्मिक द्वारा सहमत होने पर संबंधित कार्मिकों / सेवानिवृत्त कार्मिकों को निर्धारित प्रकिया अनुसार पुरानी पेंशन योजना का लाभ देय होगा।

11.6 पेंशन विकल्प प्रस्तुत करने तथा राशि पेंशन निधि में जमा कराने हेतु अन्तिम तिथि 30.06.2023 निर्धारित की गई है। पेंशन विकल्प प्रस्तुत करते समय ही संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सेवानिवृत कार्मिक/ सेवारत कार्मिक से अथवा संस्था के स्वयं के स्तर

से जमा की जाने वाली राशि एवं उस पर देय ब्याज की सुनिश्चितता आवश्यक रूप र
कर ले।

11.7 समस्त सेवानिवृत/सेवारत कार्मिक से यह अपेक्षित है कि अपना विकल्प पत्र दिनांव 15.06.2023 तक प्रस्तुत कर दे, ताकि संस्था के स्तर से दिनांक 30.06.2023 तक जम की जाने वाली राशि तथा उस पर देय ब्याज की सही गणना सुनिश्चित की जा सव तथा इस सम्बन्ध में सेवानिवृत/सेवारत कार्मिक को जमा कराये जाने वाली राशि के बा में अवगत कराया जा सके। संस्था से भी अपेक्षित है कि समस्त कार्मिक/ सेवानिवृ कार्मिकों का CPF/EPF से संबंधित समस्त रिकार्ड अतिशीघ्र संधारित कर लिया जाये तावि विकल्प दिये जाने की स्थिति में राशि एवं उस पर देय ब्याज की सही गणना सुनिश्चि की जा सके और राशि पेंशन निधि में समयबद्ध रूप से हस्तांतरित/जमा की जा सके।

उपरोक्त के साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि मात्र विकल्प पत्र प्रस्तुत करने से पुरानी पेंशन योजना का लाभ देय नहीं होगा बल्कि जमा राशि की जांच होने तथा तदनुसार निर्धारित सम्पूर्ण राशि मय ब्याज पेंशन निधि में जमा हो जाने पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विकल्प स्वीका करने पर नियमानुसार पेंशन निर्धारित की जायेगी। यदि दिनांक 30.06.2023 को निर्धारित सम्पूर्ण राशि मय ब्याज जमा होने के उपरान्त कोई अन्तर राशि गणितीय जांच के कारण संस्था स्तर से बकाया रहती है, तो ऐसी शेष राशि समान शर्तों पर दिनांक 15.07.2023 तक जमा कराई जा सकती है।

Encl : Option Form

राज्यपाल की आज्ञा से,

(रोहित गुप्ता)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय
3. समस्त विशिष्ट सहायक / निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय / राज्य मंत्री महोदय
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव को भेज कर अनुरोध है कि उनसे संबंधित प्रशासनिक विभाग के अधीन आने वाले समस्त स्वायत्तशासी निकाय/बोर्ड/विश्वविद्यालय आदि में उपरोक्तानुसा दिशा निर्देशों के संबंध में कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
6. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
7. प्रशासनिक सुधार विभाग (ग्रुप – 7)
8. समस्त विभागाध्यक्ष
9. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर
10. उप निदेशक, सांख्यिकी, मुख्यमंत्री कार्यालय
11. निदेशक कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर
12. विधि रचना संगठन, शासन सचिवालय, जयपुर
13. समस्त कोषाधिकारी / उप कोषाधिकारी
14. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सेल)
15. रक्षित पत्रावली

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ :

1. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर / जयपुर
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर

20/4/23

(एस.ज़ेड. शाहिद)
संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम)

(Pension 2 / 2023)

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(नियम अनुभाग)

क्रमांक : प.13(12)वित्त(नियम)/2021 जयपुर, दिनांक : 17.6.2023

आदेश

विषयः— राजकीय उपक्रमों/स्वायत्तशासी निकायों/विश्वविद्यालय आदि संस्थाओं में, जहां CPF/EPF/NPS लागू थी या कोई भी योजना लागू नहीं थी, के संबंध में पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने बाबत।

सन्दर्भः—वित्त (नियम) विभाग की अशा.टीप क्रमांक प.13(12)वित्त/नियम/2021 दिनांक 21.02.2023 एवं आदेश क्रमांक प.13(12)वित्त/नियम/2021 दिनांक 20.04.2023 (पेंशन 2/2023 एवं 3/2023)।

राज्य सरकार द्वारा समस्त राजकीय उपक्रमों/स्वायत्तशासी निकाय/बोर्ड/विश्वविद्यालय आदि में पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने के निर्णय की पालना के संबंध में जारी उपरोक्त संदर्भित अशा.टीप एवं आदेशों में सेवानिवृत/सेवारत कार्मिकों द्वारा सम्बन्धित संस्था के प्राधिकृत अधिकारी को दिनांक 30.06.2023 तक विकल्प प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किये गये थे।

आदेश क्रमांक प.13(12)वित्त/नियम/2021 दिनांक 20.04.2023 (पेंशन 2/2023 एवं 3/2023) में समस्त सेवानिवृत/सेवारत कार्मिक से यह अपेक्षा की गई थी कि अपना विकल्प पत्र दिनांक 15.06.2023 तक प्रस्तुत कर दे, ताकि संस्था के स्तर से दिनांक 30.06.2023 तक जमा की जाने वाली राशि तथा उस पर देय ब्याज की सही गणना सुनिश्चित की जा सके तथा इस सम्बन्ध में सेवानिवृत/सेवारत कार्मिक को जमा कराये जाने वाली राशि के बारे में अवगत कराया जा सके।

इस सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा जारी संदर्भित आदेशों की निरन्तरता में विकल्प प्राप्त करने एवं निर्धारित राशि जमा कराने की अन्तिम तिथि 15.07.2023 बढ़ाई जाती है। यदि दिनांक 15.07.2023 तक निर्धारित सम्पूर्ण राशि मय ब्याज जमा होने के उपरान्त कोई अन्तर राशि गणितीय जांच के कारण संस्था स्तर से बकाया रहती है, तो ऐसी शेष राशि समान शर्तों पर दिनांक 31.07.2023 तक जमा कराई जा सकती है। संदर्भित आदेशों के साथ संलग्न विकल्प पत्रों में भी उक्त संशोधन लागू होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,
(रोहित गुप्ता)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय
3. समस्त विशिष्ट सहायक / निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय / राज्य मंत्री महोदय
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान
5. समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव को भेज कर अनुरोध है कि उनसे संबंधित प्रशासनिक विभाग के अधीन आने वाले समस्त स्वायत्तशासी निकाय/बोर्ड/विश्वविद्यालय आदि में उपरोक्तानुसार आदेश की पालना सुनिश्चित करावें।
6. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
7. प्रशासनिक सुधार विभाग (ग्रुप – 7)
8. समस्त विभागाध्यक्ष
9. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर
10. उप निदेशक, सांख्यिकी, मुख्यमंत्री कार्यालय
11. निदेशक कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर
12. विधि रचना संगठन, शासन सचिवालय, जयपुर
13. समस्त कोषाधिकारी / उप कोषाधिकारी
14. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सेल)
15. रक्षित पत्रावली

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ :

1. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर / जयपुर
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर

17/6/23
(एस.जेड. शाहिद)
संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम)

(Pension 6 / 2023)

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(नियम अनुभाग)

क्रमांक : प.13(12)वित्त(नियम)/2021 जयपुर, दिनांक : 06 JUL 2023

आदेश

विषयः राजकीय उपक्रमों/स्वायत्तशासी निकायों/विश्वविद्यालय आदि संस्थाओं में, जहां CPF/EPF/NPS लागू थी या कोई भी योजना लागू नहीं थी, के संबंध में पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने बाबत।

सन्दर्भः वित्त (नियम) विभाग की समसंख्यक अशा.टीप दिनांक 21.02.2023, समसंख्यक आदेश दिनांक 20.04.2023 (पेंशन 2/2023 एवं 3/2023) एवं आदेश दिनांक 17.06.2023।

संदर्भित समसंख्यक अशा.टीप दिनांक 21.02.2023, आदेश दिनांक 20.04.2023 एवं 17.06.2023 द्वारा राज्य सरकार द्वारा समस्त राजकीय उपक्रमों/स्वायत्तशासी निकाय/बोर्ड/विश्वविद्यालय आदि में पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने हेतु दिशा–निर्देश जारी किये गये थे।

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के कार्मिकों हेतु सीपीएफ के विकल्प के स्थान पर पेंशन योजना का विकल्प देने हेतु दी गई सहमति F.No.11/5/2001-IR दिनांक 26–6–2020 तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा निर्देश दिनांक 18–9–2020 के आलोक में तथा वित्त विभाग द्वारा जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 20–4–2023 के कियान्वयन में आ रही कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए समसंख्यक आदेश दिनांक 20–4–2023 में निम्न सीमा तक संशोधित दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं :

1. सेवानिवृत्त / मृतक कार्मिक के संबंध में :

(i) जिन संस्थाओं के कार्मिक सेवानिवृत हो चुके हैं उनके द्वारा CPF/EPF के नियोक्ता अंशदान मय अर्जित ब्याज की प्राप्त समस्त राशि उसको प्राप्त करने की तिथि से वापस जमा करवाने की तिथि तक 3 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज दर सहित एक मुश्त पेंशन फण्ड में जमा करवाई जायेगी।

(ii) जिन संस्थाओं के कार्मिक की मृत्यु हो चुकी है, उनके परिवार के पारिवारिक पेंशन के पात्र सदस्य द्वारा कार्मिक को अथवा उनके परिवार को प्राप्त CPF/EPF के नियोक्ता अंशदान मय अर्जित ब्याज की प्राप्त समस्त राशि उसको प्राप्त करने की तिथि से वापस जमा करवाने की तिथि तक 3 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज दर सहित एकमुश्त पेंशन फण्ड में जमा करवाई जायेगी।

(iii) जिन संस्थाओं के कार्मिकों द्वारा सेवानिवृति के उपरान्त भी CPF/EPF की राशि संस्था में ही पुनः निवेशित कर दी गई है या सेवानिवृति के उपरान्त किसी भी कारण से CPF/EPF की राशि संस्था में ही जमा है, तो ऐसे मामलों में राशि का आहरण नहीं करने के कारण सेवानिवृति की तिथि को आधार मानकर सेवानिवृत कार्मिक को सेवानिवृति पर CPF/EPF के नियोक्ता अंशदान मय अर्जित ब्याज की समस्त राशि पेंशन निधि में जमा कराने की तिथि तक 3 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज दर सहित एकमुश्त पेंशन फण्ड में जमा करवाई जायेगी अथवा संस्था स्तर से सीधे ही पेंशन निधि में सेवानिवृत्त कार्मिक की सहमति से हस्तांतरित की जायेगी।

(iv) यदि सेवानिवृत्त कार्मिक के वेतन में संशोधन के कारण बाद में नियोक्ता अंशदान मय अर्जित ब्याज के राशि प्राप्त हुई हो अथवा भविष्य में प्राप्त हो, तो उस CPF/EPF के नियोक्ता अंशदान मय अर्जित ब्याज की समस्त राशि पेंशन निधि में जमा कराने की तिथि तक 3 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज दर सहित एकमुश्त पेंशन फण्ड में जमा कराया जायेगा।

(v) यदि सेवानिवृत्त कार्मिक की CPF/EPF के लिये नियोक्ता अंशदान की किसी भी राशि को यदि किसी अन्य फण्ड / स्कीम यथा पेंशन स्कीम EPS, 1995 आदि में जमा कराया गया है, तो उस अंशदान राशि पर अर्जित ब्याज की गणना 12 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज के आधार पर जमा कराने की तिथि तक करते हुए एक मुश्त राशि पेंशन निधि में जमा कराई जायेगी।

(vi) जिन कार्मिकों द्वारा नियमों के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रियानुसार तकनीकी त्यागपत्र दिया जाकर अन्य संस्थान में नवीन पद पर कार्यग्रहण किया है, उनके मामलों में नियमों के अनुसार परीक्षण उपरान्त विकल्प स्वीकार करने के संबंध में प्रचलित पेंशन नियमों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

(vii) जिन कार्मिकों को अधिवार्षिकी आयु से पूर्व नियमानुसार स्वैच्छिक सेवानिवृति प्रदान की गई है, वह भी इन दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना का विकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं।

2. **सेवारत कार्मिक के संबंध में :–**

(i) CPF/EPF का विकल्प देने वाले सेवारत कार्मिकों की नियोक्ता अंशदान की राशि यदि संस्था में है, तो यह समस्त CPF/EPF की राशि मय अर्जित ब्याज के पेंशन फण्ड में एकमुश्त हस्तांतरित की जायेगी; परन्तु यदि यह राशि CPF/EPF/NPS से संबंधित संस्थाओं में है और विकल्प की निर्धारित समय सीमा तक प्राप्त नहीं होती है, तो नियोक्ता अंशदान की राशि मय अर्जित ब्याज/ मूल्य के कार्मिक को स्वयं पेंशन फण्ड में एकमुश्त जमा करानी होगी।

(ii) जिन संस्थाओं द्वारा सेवारत कार्मिकों के नियोक्ता अंशदान को अन्यत्र विनिवेशित है या किसी प्रतिभूति आदि के रूप में जमा है, उन संस्थाओं नियोक्ता अंशदान की समस्त राशि मय अर्जित ब्याज के निर्धारित तिथि तक राशि पेंशन निधि में हस्तांतरित करनी होगी; परन्तु विशेष परिस्थितियों में अधिकतम 3 माह तक का शिथिलन वित्त विभाग की सक्षम अनुमति से दिया जा सकेगा। इस स्थिति में संस्था द्वारा अर्जित ब्याज उस तिथि तक का होगा, जिस तिथि को राशि पेंशन निधि में हस्तान्तरित की जाती है।

3. **अन्य दिशा निर्देश :–**

(i) राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 एवं राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन रूपान्तरण) नियम, 1996 भिन्न–भिन्न है और पेंशन परिलाभों की परिभाषा में सिर्फ पेंशन एवं ग्रेच्युटी सम्मिलित होता है। संस्थाओं से यह अपेक्षित है कि यदि पेंशन विनियम उपरोक्त संदर्भित नियमों के आधार पर अंगीकार किया जाता है या किया गया हो, तो पेंशन निधि में जमा होने वाली संभावित राशि के अनुसार वित्तीय स्थिति एवं भविष्य की देयताओं को दृष्टिगत रखते हुए ही तथा आकलन करने के उपरान्त पेंशन रूपान्तरण के संबंध में सक्षम स्तर से निर्णय लेवें।

(ii) संस्था में GPF Linked Pension Scheme लागू होने के उपरान्त नियमित वेतनमान में नियुक्त होने वाले कार्मिकों पर GPF Linked Pension Scheme के प्रावधान ही लागू रहेंगे।

जिन संस्थाओं ने संबंधित से विकल्प पत्र प्राप्त कर लिये हैं या पूर्व के दिशा निर्देशों के अनुसार राशि जमा कर ली है, उन सभी संस्थाओं द्वारा पुनः उपरोक्तानुसार नवीन मार्गदर्शन/संशोधन के संदर्भ से पुनः विकल्प प्राप्त करने होंगे तथा राशि को तदनुसार समायोजित जमा/लौटाने की कार्यवाही करनी होगी। वित्त विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों से भिन्न किसी प्रकार के दिशा निर्देश संस्था द्वारा जारी नहीं किये जायें।

वित्त विभाग द्वारा जारी संदर्भित आदेशों की निरन्तरता में विकल्प प्राप्त करने एवं निर्धारित राशि जमा कराने की अन्तिम तिथि 31.07.2023 तक बढाई जाती है। यदि दिनांक 31.07.2023 तक निर्धारित सम्पूर्ण राशि मय ब्याज जमा होने के उपरान्त कोई अन्तर राशि गणितीय जांच के कारण संस्था स्तर से बकाया रहती है, तो ऐसी शेष राशि समान शर्तों पर दिनांक 16.08.2023 तक जमा कराई जा सकती है। संदर्भित आदेशों के साथ संलग्न विकल्प पत्रों में भी उक्त संशोधन लागू होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(के.के. पाठक)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय
3. समस्त विशिष्ट सहायक / निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय / राज्य मंत्री महोदय
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव को भेज कर अनुरोध है कि उनसे संबंधित प्रशासनिक विभाग के अधीन आने वाले समस्त स्वायत्तशासी निकाय/बोर्ड/विश्वविद्यालय आदि में उपरोक्तानुसार दिशा निर्देशों के संबंध में कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
6. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
7. प्रशासनिक सुधार विभाग (ग्रुप – 7)
8. समस्त विभागाध्यक्ष
9. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर
10. उप निदेशक, सांख्यिकी, मुख्यमंत्री कार्यालय
11. निदेशक कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर
12. विधि रचना संगठन, शासन सचिवालय, जयपुर
13. समस्त कोषाधिकारी / उप कोषाधिकारी
14. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सेल)
15. रक्षित पत्रावली

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ :

1. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर / जयपुर
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर

6/7/23

(एस.ज़ेड. शाहिद)
संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम)

(Pension 6 / 2023)

OPTION FORM

(3 copies - one copy should be pasted on service book, one copy may be returned to employee after accepting option and one copy to be retained in official record.)

Name of the organization .....

A. To be filled by employees who were in service/retired and **also eligible family member of deceased employee** who were earlier governed by **CPF / EPF** for switching over to Old Pension Scheme.

1. I, ... (name) the undersigned, hereby re-option/option for old pension scheme of the organization and exercise the option to be governed by the provision of already existing GPF linked pension regulations named as ..... or New Pension Regulation .....

2. I am aware the option for pension once exercised will be final and irrevocable.

1. Full Name : _____

2. Designation : _____

3. Department/Office : _____

4. CPF/EPF No. (If any): _____

5. Employee ID /GPF SAB No. _____

Note: If dependent of the family member is applying for old pension scheme then relevant documents should also be attached to ascertain eligibility under pension related provisions.

Signature of employee / dependent member with Date

Witness :

Witness 1. Signature and date

Name in Full

Designation

Witness 2. Signature and date

Name in Full

Designation

Continued .....

B. To be filled by office :

Received from ....(Name & designation)

regarding option for ....Pension Scheme.

Note : In case of family pension the relevant documents should also be submitted with option form.

(Signature & Seal, Name and designation of receiving officer)

Date :

C. To be filled by officer of the authorized officer of the organization who is accepting the option

(i) Details of amount deposited / transferred one time by the employee / dependent with interest (as applicable) Rs...........

(ii) details of amount deposited / transferred one time by the employer (as applicable) Rs......................

(iii) Total amount one time deposited / transferred Rs...

Note:

1. This option form shall be accepted only after deposition / transfer of one time amount as per order issued by State Government

2. The last date of deposition / transfer of all amount is 30.06.2023. However in case there is difference in calculated amount and the deposited / transferred amount, the remaining amount can be deposited / transferred by the employee / employer / dependent one time upto 15-7-2023.

3. It is certified that the calculation of deposited / transferred amount has been checked & the amount has been deposited/ transferred in the pension fund on ....

As all due amount has been deposited / transferred in the pension fund, therefore the option of Mr. / Ms. .... is accepted for pension / family pension from .... (date)

Dated :

Time :

Signature with Seal

of the designation officer of the organization

संयुक्त शासन सचिव–II